

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/ई-फाईन न0 20809/वर्दी/2025/114

दिनांक : 12/03/2025

1. निदेशक ईएसआई जयपुर।
2. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
4. समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सेवायें राजस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
8. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।

विषय: ईसीजी टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक संवर्ग को वर्दी एवं धुलाई भत्ता के भुगतान के संबंध में।

संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्रांक ई-फाईल-20809/चिस्वा/ग्रुप-3/2023 जयपुर, दिनांक 28.02.2025 द्वारा ईसीजी टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक संवर्ग को प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता 2750/- एवं धुलाई भत्ता रू. 180/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी.संख्या 212500070 दिनांक 12.02.2025 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।(प्रति संलग्न)

उक्त स्वीकृति की अनुपालना में ईसीजी टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक संवर्ग को प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता 2750/- एवं धुलाई भत्ता रू. 180/- प्रतिमाह भुगतान करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 12/03/2025

क्रमांक:ई-33/ई-फाईन न0 20809/वर्दी/2025/114

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. प्रदेशाध्यक्ष, दन्त तकनीशियन संघ/ईसीजी टैक्नीशियन कर्मचारी संघ/राजस्थान ऑर्थोल्मिक एसोसियेशन।
4. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-03-2025 07:51:34

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : ई-फाईल-20809 / चिस्वा. / ग्रुप-3 / 2023

जयपुर, दिनांक :

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0, जयपुर।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज0, जयपुर।

विषय:-ई.सी.जी. टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक संवर्ग को वर्दी एवं धुलाई भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि ई.सी.जी. टैक्नीशियन, दन्त टैक्नीशियन एवं नेत्र सहायक संवर्ग को प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता रूपये 2750/- एवं धुलाई भत्ता रू. 180/- प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी क्रमांक 212500070 दिनांक 12.02.2025 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(प्रीति माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

Document certified by Preeti Mathur
<medicaldepartmentgroup3@gmail.com>.

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation : Joint Secretary
To Government
Date :28-02-2025 10:03:04